कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री राज लघु उद्योग, 1136 / 3बी , शिव कालोनी, बड़ा गॉव गेट बाहर, झॉसी ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**005 / 11, 24.01.2011**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री राज लघु उद्योग, 1136 / 3बी , शिव कालोनी, बड़ा गॉव गेट बाहर, झॉसी द्वारा दिनांक 24.01.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ' सादा अगरबत्ती ' पर, कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 30.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि सर्वप्रथम महिलाओं द्वारा सादा अगरबत्ती हाथों से लकड़ी के पटा पर बनायी जाती है, इसके बाद इसे सुखाते हैं तब वह सादा अगरबत्ती कहलाती है । बाद में सेन्ट में डुबाये जाने के बाद यह इन्सेन्स स्टिक अथवा अगरबत्ती कहलाती है अर्थात सादा अगरबत्ती भी अगरबत्ती कहलाती है तथा इन्सेन्स अगरबत्ती भी अगरबत्ती कहलाती है । सभी प्रदेशों में सादा अगरबत्ती तथा इन्सेन्स अगरबत्ती दोनों ही करमुक्त हैं । प्रार्थी का प्रश्न यह भी है कि अनुसूची-I में नम्बर-41 पर दूसरी बार लिखा गया अगरबत्ती शब्द को अगरबत्ती माना जाये ? यह भी कहा गया कि क्या अनुसूची-I में नम्बर-49 पर अंकित '' Handicraft " को सादा अगरबत्ती माना जा सकता है ? क्योंकि सादा अगरबत्ती हाथ से ही बनायी जाती है तथा गरीब महिलाओं के लिए रोजगार है ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झॉसी जोन, झॉसी द्वारा पत्र संख्या-2920, दिनांक 10.02.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि इन्सेन्स स्टिक अगरबत्ती उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I में नम्बर-41 पर वर्णित है । इसमें नान इन्सेन्स स्टिक अगरबत्ती अथवा सादी अगरबत्ती आच्छादित नहीं है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I में क्रमांक-49 पर वर्णित हैण्डीक्राफ्ट के अन्तर्गत सादी अगरबत्ती आच्छादित नहीं है क्योंकि क्रमांक-49 में हैण्डीक्राफ्ट, वुडेन हैण्डीक्राफ्ट,.....अंकित है । इस प्रकार व्यापारी द्वारा सादी अगरबत्ती हाथों द्वारा लकड़ी के पटे पर बनाया जाता है तथा सादी अगरबत्ती एक अवर्गीकृत वस्तु है जो अवर्गीकृत वस्तु के रूप में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-V में करयोग्य है ।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झॉसी जोन, झॉसी से पुन: आख्या मॉगी गयी जिसके क्रम में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0 अनु0 शा0) वाणिज्य कर, झॉसी जोन झॉसी के पत्र संख्या-1177, दिनांक 21.02.2014 से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि स्थलीय जॉच पर पाया गया कि फर्म अपंजीकृत है । व्यापारी अगरबत्ती का निर्माण व बिक्री करते हैं । उनके द्वारा कच्चा माल जैसे लकड़ी स्टिक, कोयला पाउडर,

....2

लकड़ी बुरादा एवं काला तेल आदि की खरीद स्थानीय रूप से करके इन सामग्रियों से जाबवर्क के आधार पर मजदूरों से सादा अगरबत्ती बनवाते हैं तथा अपने घर में ही उनमें सेन्ट डालकर पैक करके स्थानीय बाजार में थोक की बिक्री करते हैं।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी सादा अगरबत्ती की खरीद-बिक्री नहीं करते हैं बल्कि सादा अगरबत्ती मजदूरी पर बनवाकर, उसमें सेन्ट डालकर पैक करके थोक की बिक्री करते हैं। प्रार्थी फर्म अपंजीकृत है अत: वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत इस मामले में person or dealer concerned नहीं है। अत: प्रार्थना-पत्र उत्तर देने के निमित्त ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झॉसी जोन, झॉसी एवं एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0 अनु0 शा0) वाणिज्य कर, झॉसी जोन झॉसी द्वारा प्रेषित आख्या व विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी सादा अगरबत्ती की खरीद-बिक्री नहीं करते हैं बल्कि सादा अगरबत्ती मजदूरी पर बनवाकर, उसमें सेन्ट डालकर पैक करके थोक की बिक्री करते हैं। प्रार्थी फर्म अपंजीकृत है। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं। अत: प्रार्थी प्रश्न पूछने के लिए पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 14 मार्च, 2014

ह0 / 14.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।